

13/10/21

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ  
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ  
ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ  
ਪਹਿਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ  
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

**डिकरी व मुकदमें इत्तदाई**  
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्बा दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)  
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई  
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

**मु0 उनवान मंगल बनाम यदुवीर वगै0**

मुकदमा नंबर 209 / 2022

दावा बाबत 53, 188 रा0का0 अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु .....- व हाजरी वादी  
मिनजानिब मुददत व ..... मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुकम दिया जाता है व  
डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.08.2024 के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.08.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.08.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काशत /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज - मुबलिग - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व  
शरह - - - - - फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक - - - - - की अदा करें।  
दसब्द व मुहर अदालत के आज तारीख 15.10.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्ताखत -  15/10/24

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकम नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

1. मंगल पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी पिपरऊ तह.नदबई (भरतपुर)

- वादी

बनाम

1. यदुवीरसिंह पुत्र रमेशचंद जाति जाट निवासी पिपरऊ तह.नदबई (भरतपुर)

2. हरेशसिंह पुत्र रमेशचंद जाति जाट निवासी पिपरऊ तह.नदबई (भरतपुर)

3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

4. बैंक प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा नदबई

प्रतिवादीगण

# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.  
209 / 2022

रजू दिनांक  
28.11.2022

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक  
15.10.2024

उनवान

1. मंगल पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी पिपरऊ तह.नदबई (भरतपुर)

- वादी

बनाम

1. यदुवीरसिंह पुत्र रमेशचंद जाति जाट निवासी पिपरऊ तह.नदबई (भरतपुर)
2. हरेशसिंह पुत्र रमेशचंद जाति जाट निवासी पिपरऊ तह.नदबई (भरतपुर)
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
4. बैंक प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा नदबई

प्रतिवादीगण

दावा- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.10.2024 को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 569 रकवा 0.07, 570 रकवा 0.01 हैक्टेयर वाके ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई में स्थित है। जिसका वादी एवं प्रतिवादी स. 1 व 2 सहखातेदार हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि वादी व प्रतिवादी की सम्मिलित खातेदारी का रकवा है, उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा वाद पत्र मुताबिक कुरारिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई।



15/10/24

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.08.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.08.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.08.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

15/10/24

(गंगाधर मीना R.A.S.)  
सहायक कलक्टर नदबई

सत्यमेव जयते